

उत्तराखण्ड विधान सभा

मा0 विधान सभा सदस्यों/मा0 पूर्व सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधायें।

मा0 सदस्य विधान सभा :-

1.	वेतन	30000.00 प्रतिमाह
2.	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	150000.00 प्रतिमाह
3.	चालक भत्ता	12000.00 प्रतिमाह
4.	सचिवीय भत्ता	12000.00 प्रतिमाह
5.	मकान किराया प्रतिकर (सुसज्जित आवास के स्थान पर)	300.00 प्रतिमाह
6.	जनसेवा भत्ता	2000.00 प्रतिदिन
7.	रेलवे कूपन	355000.00 प्रतिवर्ष

जिसमें से उनके द्वारा रेल कूपन के स्थान पर ₹ 27083.00 प्रतिमाह की दर से डीजल/पैट्रोल व्यय के रूप में, मांग किये जाने पर, नकद भुगतान किया जा सकता है।
(इसके अतिरिक्त रेलवे कूपनों के अन्तर्गत हवाई यात्रा करने के उपरांत हवाई यात्रा के टिकटों को प्रस्तुत कर अनुमन्य सीमा तक प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे)

8. निर्वाचन क्षेत्र तथा मुख्यालय में एक-एक टेलीफोन, तथा एक मोबाईल सिम कार्ड (रूपये छः हजार प्रतिमाह से अनधिक धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा)
9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा - स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए,
10. फ्री बस पास सुविधा (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में),
11. लेपटॉप (प्रत्येक कार्यकाल में एक),
12. प्रतिवर्ष 2000 पृष्ठों का एक मुद्रित लेटर हेड और 1000 मुद्रित लिफाफे,
13. पारिवारिक पेंशन - यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो उसके आश्रित को उसके सदस्यताकाल पर आगणित देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

मा0 पूर्व सदस्य विधान सभा :-

1. पेंशन रु0 40,000.00 प्रथम वर्ष के लिए तथा रु0 2000.00 प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए,
(5% अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, 10% अतिरिक्त पेंशन 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 25% अतिरिक्त पेंशन 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तथा 50% अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर)
2. रेलवे ट्रेवल कूपन - रु0 2,72,000.00 प्रतिवर्ष
(जिसमें से उनके द्वारा रेल कूपन के स्थान पर रु0 20333.00 प्रतिमाह की दर से डीजल/पैट्रोल व्यय के रूप में, मांग किये जाने पर, नकद भुगतान किया जा सकता है।) (60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मा0 पूर्व सदस्य रेलवे कूपन की सम्पूर्ण धनराशि डीजल/पैट्रोल व्यय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं)
(इसके अतिरिक्त रेलवे कूपनों के अन्तर्गत हवाई यात्रा करने के उपरांत हवाई यात्रा के टिकटों को प्रस्तुत कर अनुमन्य सीमा तक प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे)
3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति - स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिये
4. फ्री बस पास सुविधा (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में)
5. पारिवारिक पेंशन - यदि किसी पूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाये तो उसके आश्रित को उसे देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।